

**राजस्थान सरकार**  
आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर  
Block-4, RKS Sankul, JLN Road, Jaipur-302015, Rajasthan  
Website: <http://hte.rajasthan.gov.in/dept/dce/>  
e-mail: [jdacad1960@gmail.com](mailto:jdacad1960@gmail.com) Ph 0141-2706550

क्रमांक: एफ7(4)अकाद/आकाशि/Online/रिफ्रेशर/2021/192

दिनांक: 17 अगस्त, 2021

प्राचार्य,  
संबंधित राजकीय महाविद्यालय,  
राजस्थान।

विषय:- ऑनलाईन रिफ्रेशर कोर्स में भाग लेने की अनुमति बाबत  
संदर्भ:- विभाग के पत्रांक एफ 7 (4) यु.जी.सी/अकाद/आकाशि/2020/1265  
02.11.2020

दिनांक


महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि ऑनलाईन रिफ्रेशर कोर्स में भाग लेने हेतु निम्नलिखित सह/सहायक आचार्यों को अनुमति जारी की जाती है-

क्र.स.	नम सह/सहायक आचार्य/श्री/श्रीमती/सुश्री/डॉ	विषय	महाविद्यालय का नाम	कोर्स जिसमें भाग लेना चाहते हैं।	कोर्स की अवधि	संस्थान जहाँ से कोर्स किया जाना है।
1.	सुमन मावर	विधि	राज.विधि.महा. अजमेर	रिफ्रेशर	18.08.2021से 31.08.2021	जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर
2	नरेश कुमार मीना	विधि	राज.विधि महा. सिराही	रिफ्रेशर	20.08.2021 से 03.09.2021	रामानुजन कॉलेज दिल्ली
3	कमलेश यादव	हिन्दी	राज.कन्या महा. कोटपूतली	रिफ्रेशर	16.07.2021से 31.07.2021	रामानुजन कॉलेज दिल्ली
4	गंगा सहाय मीना	रसायन शास्त्र	राज.महा. सवाईमाधोपुर	रिफ्रेशर	18.08.2021से 31.08.2021	जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर
5	निधि कुमारी मीणा	भौतिक विज्ञान	राज.महिला महा.अलवर	रिफ्रेशर	21.08.2021 से 04.09.2021	अलीगढ़ मुस्लिम विश्व. अलीगढ़
6	प्रियंका शर्मा	मनोविज्ञान	राज.महिला महा.अलवर	रिफ्रेशर	21.08.2021 से 04.09.2021	अलीगढ़ मुस्लिम विश्व. अलीगढ़
7	मैनु देवी	गणित	राज.महिला महा.अलवर	रिफ्रेशर	21.08.2021 से 04.09.2021	अलीगढ़ मुस्लिम विश्व. अलीगढ़
8	पिंकी	मनोविज्ञान	राज.महिला महा.अलवर	रिफ्रेशर	21.08.2021 से 04.09.2021	अलीगढ़ मुस्लिम विश्व. अलीगढ़

उक्त कोर्स में भाग लेने के लिए सह/सहायक आचार्यों को अनुमति देने से पूर्व प्राचार्य निम्नलिखित निर्देशों की पूर्ण पालना सुनिश्चित करें :-

1. प्राचार्य केवल उन सह/सहायक आचार्यों को कार्यमुक्त करें जिन्हें सी.ए.एस. के तहत कोर्स करना आवश्यक हो।
2. संबंधित सह/सहायक आचार्यों ने यदि सी.ए.एस. के तहत वरिष्ठ/चयनित/पे-बैंड IV के लिये आवश्यक कोर्स कर रखे हैं तो वे प्राचार्य को लिखित में सूचित करें कि उन्हें कोर्स की आवश्यकता नहीं है। जो सह/सहायक आचार्य तथ्य छुपाकर कार्यमुक्त होंगे उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी। प्राचार्य द्वारा कार्यमुक्त किये गये सह/सहायक आचार्य द्वारा कोर्स में भाग नहीं लेने पर संबंधित सह/सहायक आचार्य के विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही के साथ-साथ उस तिथि के पश्चात एक वर्ष तक कोई अवसर प्रदान नहीं किया जावेगा। जिसके लिए वह स्वयं जिम्मेदार होगा।
3. बेवसाईट प्रभारी को अपलोड करने हेतु।

  
(डॉ सौमित्र नाथ झा)  
संयुक्त निदेशक(अकादमिक)